संख्या : 14/4/28/35-भू.उ.प्र./90-99

प्रेषक,

श्री वी. वेंकटाचलम्,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त,
उ.प्र.।

भूमि उपयोग परिषद, नियोजन विभाग
पांचवां तल, योजना भवन

लखनऊ : दिनांक : जनवरी 03, 2007

विषय : भूमि अर्जन का वर्तमान प्रक्रिया का सरलीकरण।

महोदय,

कृषि भूमि के अकृषीय प्रयोजनों हेतु अर्जन के सम्बन्ध में विकास विभागों (अर्जन निकाय) द्वारा भूमि उपयोग परिषद की सहमति प्राप्त करना आवश्यक रहा तथा इस संदर्भ में प्रस्तावों को सम्बन्धित जिलाधिकारी की संस्तुति के उपरान्त प्रशासकीय विभाग के माध्यम से भूमि उपयोग परिषद को सन्दर्भित किया जाता रहा। प्रशासकीय विभाग द्वारा जिलाधिकारीगण से विज्ञप्ति प्रकाशन से पूर्व भूमि उपयोग परिषद की सहमति प्राप्त करने की व्यवस्था दी गयी।

बड़ी तथा अधिक महत्व की परियोजनाओं पर सहमति की गति तीव्रतर करने हेतु व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण का निर्णय समय अन्तराल में लिया गया तथा भूमि उपयोग परिषद के शासनादेश संख्या : 95/4/28/35-भू.उ.प./90-99 दिनांक जनवरी 14, 2003 द्वारा यह व्यवस्था की गई कि कृषि भूमि के अकृषीय प्रयोजनाओं हेतु अर्जन की दशा में परियोजनावार निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार सहमति प्राप्त की जाए :-

1. परियोजनान्तर्गत अर्जन क्षेत्रफल-25 एकड़ तक - सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूमि उपयोग समिति (जिला भूमि उपयोग समिति के अनुमोदनोपरान्त)
2. परियोजनान्तर्गत अर्जन क्षेत्रफल - 25 एकड़ से अधिक तथा 50 एकड़ तक- सम्बन्धित मण्डलायुक्त (सम्बन्धित जिला भूमि उपयोग समिति के अनुमोदनोपरान्त)
3. 50 एकड़ से अधिक अर्जन क्षेत्रफल की दशा में प्रस्ताव शासन स्तर पर गठित भूमि उपयोग परिषद की सहमति हेतु यथावत् संदर्भित किये जायेंगे।

भूमि अर्जन की वर्तमान प्रक्रिया के सरलीकरण के सम्बन्ध में अब यह निर्णय लिया गया है कि :-

"भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में अनुमोदन देने हेतु भूमि उपयोग परिषद, नियोजन विभाग को प्राप्त अधिकारों का विकेन्द्रीकरण, नियोजन विभाग के सुसंगत आदेशों/निर्देशों के अधीन करते हुए तथा इस निर्देश सहित कि मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी अनुमोदन देने के परिप्रेक्ष्य में मासिक सूचना/आख्या, नियमित रूप में, भूमि उपयोग परिषद, नियोजन विभाग को भेजेंगे, निम्नानुसार कर दिया जाए :-

1. 50 एकड़ तक - जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला भूमि उपयोग समिति द्वारा।

2. 50 एकड़ से ऊपर - मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित मण्डलीय भूमि उपयोग समिति द्वारा।

उक्त व्यवस्था के अनुरूप अब अग्रिम कार्यवाही तात्कालिक प्रभाव से सुनिश्चित की जायेगी, और पूर्व निर्गत आदेश इस सीमा तक संशोधित/अवक्रमित समझे जायेंगे। जिला भूमि उपयोग समिति/मण्डलीय भूमि उपयोग समिति की निर्णायात्मक बैठकों से भूमि उपयोग परिषद का प्रतिनिधित्व/प्रतिभागिता अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जायेगा ताकि समय-समय पर भूमि उपयोग परिषद के नीति निर्देशक सिद्धान्तों/कृषि भूमि के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीतियों का यथोचित का समावेश निर्णयों में हो सके। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए भूमि उपयोग परिषद के शासनादेश संख्या : 1781/4/28/35-भू.उ.प./90-99 दिनांक सितम्बर 08, 2005 के संलग्नक के अनुरूप प्रारूप पर अर्जित भूमि के विवरण सम्बन्धी मासिक सूचना/ आख्या नियामत रूप से भूमि उपयोग परिषद को अवश्यमेव उपलब्ध करायी जाती रहेगी ताकि भूमि उपयोग परिषद के उद्देश्यों की प्राप्ति में कोई बाधा न रहे तथा भूमि उपयोग परिषद का डेटा बैंक स्पष्ट रहे। भूमि उपयोग परिषद को किसी भी प्रकरण में स्थल निरीक्षण/पर्यवेक्षण को पूर्ण अधिकार रहेगा ताकि कृषि भूमि का अकृषीय प्रयोजनों हेतु अन्तरण न्यूनतम रहे तथा इस सम्बन्ध में न्यायोचित कदम उठाये जा सकें।

कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को तदनुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0
(वी.वेंकटाचलम्)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या 14-(1)/4/28/35-भू.उ.प./90-99 तददिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है :-

1. प्रमुख सचिव, राजस्व राजस्व-13, उ.प्र. शासन को उनके अ.शा.प.सं. -1234/1-13-2006-20(16)/2005-रा-13, दिनांक अगस्त 31, 2006 के संदर्भ में।
2. प्रमुख सचिव, गोपन विभाग, उ.प्र. शासन को प्रमुख सचिव, राजस्व के अ.शा. प.सं. -1234/1-13-2006-20(16)/2005-रा-13, दिनांक अगस्त 31, 2006 के संदर्भ में।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उ.प्र.।
5. निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उ.प्र. लखनऊ।
6. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
ह.
(अरविन्द नारायण मिश्र)
विशेष सचिव।